## न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्याः 11/10 रे.वाद शीर्षक नन्दलाल बनाम गोटू

| दिनांक | कार्यवाही प्रकरण | हस्ताक्षर/ सूचना नं. |
|---|---|---|
| 18/02/2021 | पत्रावली वास्तें निर्णय पेश हुई। मामलें में प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी के पेश किया कि वादी ने आप न्यायालय में उक्त प्रकरण विकाव नामा दिनांक 12.06.1980 बिल एवज 2000/– रूपये प्रतिफल राशि के आधार पर खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। बिकावनामा दिनांक 12.06.1980 का अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प पर है जो रजिस्ट्रेशन एक्ट एवं स्टाम्प एक्ट से प्रतिबन्धित होकर उक्त बिकावनामा के आधार पर उक्त वाद पोषणीय नही है। बिकावनामा दिनांक 12.06.1980 का अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प होने से उक्त दस्तावेज के आधार पर घोषणा का वाद का श्रवणाधिकार आप न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। वादी उक्त दस्तावेज के आधार पर किसी प्रकार की कोई दाद आप न्यायालय से प्राप्त नही कर सकता है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें उक्त वाद स्वयं खारिज फरमाया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र के खण्डन में वादी अपने अपना जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 गलत होकर अस्वीकार है वादी ने बिकावनामा दिनांक 12.06.1980 के आधार पर यह वाद पेश नही किया है कि जबकि वादी ने यह वाद धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 12 वर्ष से अधिक समय से वादी का वादग्रस्त आराजी संख्या 1066 रकबा 01–13 बीघा पर प्रतिकुल कब्जा होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिये प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 गलत होकर अस्वीकार है उक्त बिकावनामा कब्जे की दृष्टि से संपार्श्वविक उद्वेश्य से प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त बिकावनामा प्रदर्शित करवाया गया है। इस दस्तावेज के आधार पर खातेदारी की घोषणा नही चाही गयी है इसको तो केवल मात्र कब्जे के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 गलत होकर अस्वीकार है प्रतिवादीगण अपने प्रार्थना पत्र में तथ्यों की पुनरावृति कर रहा है जबकि वादी अपने वाद में कतई बिकावनामें के आधार पर वाद पेश नही किया है केवल कब्जे की दृष्टि से उक्त दस्तावेज पेश किया है। खातेदारी घोषणा का अनुतोष केवल राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है। उक्त प्रार्थना आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 की परिभाषा में नही आता है केवल मात्र प्रकरण को लिंगरऑन करने के उद्वेश्य से गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्त होने योग्य है। विशेष कथन किया है कि उक्त प्रकरण में साक्ष्य वादी काफि समय पूर्व पूर्ण हो चुकी है वादी का | |

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादग्रस्त कृषि आराजी पर 25–26 वर्षो से अधिक समय से काबिज होकर उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। प्रतिवादीगण इस वाद में बाद में पक्षकार बने है तथाकथित दस्तावेज साक्ष्य वादी में प्रदर्शित करवाया गया है जबकि न्यायालय द्वारा पूर्व में स्थगन आदेश जारी कर रखा था प्रतिवादीगण द्वारा उक्त धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्व अपील राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पेश की वह राजस्व अपील अधिकारी महोदय द्वारा खारिज कर दी गई है। वर्ष 2017 से पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में नियत है। प्रतिवादी ने अपनी मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र दिनांक 08.02.2018 को पेश किया है उसके बाद साक्ष्य प्रतिवादी हेतु अवसर लेते रहे है। इन सारे तथ्यों से यह प्रमाणित है प्रतिवादीगण केवल मात्र विलम्ब करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 आधारहीन होने से भारी हर्जे खर्चे के साथ निरस्त किया जावें। इस पर उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौरान बहस अधिवक्ता वादी ने RRT 2013 (2) पेज संख्या 1110 एवं प्रतिवादी अधिवक्ता जगदीश कुमावत ने RRT 2015 (2) पेज संख्या 978, DNJ 2018 (SC) पेज संख्या 621, RRD 1996 पेज संख्या 104, RRT 2009 (1) पेज संख्या 638, RRT 2017 (2) पेज संख्या 1139, RRT 2014-15 (Supp.) पेज संख्या 541, RRT 2014 (1) पेज संख्या 131, RRT 2011-12 (Supp.) पेज संख्या 85, RRT 2004 (2) पेज संख्या 935, DNJ 2013 (3) (Raj) पेज संख्या 997, RRT 2016 (2) पेज संख्या 791, RRT 2014-15 (Supp.) पेज संख्या 438 के नजीरें पेश की गयी।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं नजीरों का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादी द्वारा प्रस्तुत विकावनामा प्रदर्श–02 अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प होकर एक सादा कागज पर निष्पादित किया गया है जिस कारण उक्त दस्जावेज के आधार श्रवणाधिकार इस न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय को है तथा उक्त अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प दस्तावेज पर वादी स्वयं के हस्ताक्षर भी अंकित नही होना पाया गया है जिससे भी वादी का कब्जा सिद्व नही होता है।

अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा